

**सूचना का अधिकार 2005**  
**कार्यालय उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय**  
**जिला-राजगढ़(ब्यावरा)म.प्र.**

**कार्यालय उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय जिला-राजगढ़**  
**विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी**

---

- 1- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-** योजना में प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जिनकी आयु 60 वर्ष 65 वर्ष तक की आयु के वृद्धों को प्रतिमाह 150/- रू0 उनके जीवन यापन के निर्वाहन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना।
- 2- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :-** योजना में प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को प्रतिमाह 150/- रू0 उनके जीवन यापन के निर्वाहन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना।
- 3- **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना:-** योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम है। उनकी मृत्यु होने पर आश्रितों को एक मुश्त 10000/- रू0 की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- 4- **विकलांग छात्रवृत्ति योजना :-** उद्देश्य जिले में निवासरत विकलांग छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद दे कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।
- 5- **विकलांगों के लिये स्वरोजगार :-** विकलांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वित्तीय विभाग निगम फरीदाबाद से लोन स्वीकृत कराना।
- 6- **विकलांगों को उपकरण/सहायक उपकरण प्रदान करना:-** जिले में निवासरत निशक्त एवं असहाय विकलांगों को राज मद से 6 से 25 वर्ष के आयु समूह के नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा 16 से 55 आयु समूह के ऐसे निःशक्त जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर उन्हें उपकरण/सहायक उपकरण प्रदान करना।
- 7- **मुख्य मंत्री कन्यादान योजना :-** योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को शासन द्वारा उनका निःशुल्क विवाह कराना एवं गृहस्थी की व्यवस्था हेतु 5000/- रू0 का गृहस्थी का सामान/1000/- रू0 विवाह सम्पन्न कराने पर प्रायोजक को देना।

- 8- **विवेकानंद विवाह समूह (सुरक्षा की छाव)** :- इस योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्य की दुर्घटना/अप्रकृतिक आपदाओं में मृत्यु होने पर 50000/- रू० तथा अंग भंग होने पर 25000/- रू० तथा दुर्घटना में अस्पताल जाने पर मेडिकल प्रमाण-पत्र के अनुसार इलाज हेतु 1000/- रू० प्रदाय करना।
- 9- **नशा मुक्ति कार्यक्रम** :- समाज की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से मघ निशेध सप्ताह, नशा निवारण दिवस, तम्बाकू एवं धूम्रपान दिवस, नशा मुक्ति अभियान चलाया जाकर नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी,, एवं अन्य प्रतियोगिता के माध्यम से तथा उनसे होने वाली हानियों की जानकारी जन समूदायों को उपलब्ध कराकर जनजाग्रति लाना।
- 10- **ग्राम न्यायालय**:- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सहज एवं सुलभ त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिले में 55 ग्राम न्यायालय राज्य शासन द्वारा स्थापित किये गये।

- ❖ इन ग्राम न्यायालयों के अधिकारिता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (का सं. 5) या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में अंविष्ट (दो) (क) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 160, 172, 174, 175, 178, 179, 180, 269, 277, 279, 283, 289, 290, 294, 323, 334, 336, 341, 352, 358, 374, 379, 411, 426, 428, 447, 448, 506, (प्रथम भाग) 509 तथा 510
- ❖ पशु अतिचार अधिनियम 1871 (1871 का सं. 1)
- ❖ मध्यप्रदेश किशोर धूम्रपान अधिनियम 1929 (क्र. 7 सन् 1929) और
- ❖ सार्वजनिक घूत अधिनियम 1867(1867 का सं. 3) की धारा 13 के अधीन अपराधों की जांच तथा उनका रिचारण करने की अनन्य अधिकारिता होगी तथा उस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय दण्ड न्यायालय समझा जाएगा।

(तीन) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 248 तथा 250 के अधीन मामलों की सुनवाई तथा उसका निपटारा करने की अनन्य अधिकारिता होगी तथा उस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय तहसीलदार का न्यायालय समझा जाएगा।

**बिन्दु क्रमांक 1**


2. लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :- कार्यालय उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं को शासन के निर्देशानुसार क्रियान्वयन एवं आम नागरिक तक पहुँचाना है।
3. लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :- कार्यालय का मुख्य उद्देश्य मूलभूत अधोसंरचनाओं को आम नागरिक तक पहुँचाना जिसके माध्यम से गाव की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आए तथा निर्धन, निराश्रित, निःशक्तजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद के साथ-साथ रोजगार भी उपलब्ध हो सके।
4. लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं उसके गठन का प्रसंग :-
5. लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :- शासन के विभिन्न कार्यों को जनपद एवं ग्राम पंचायत के द्वारा आम नागरिक तक पहुँचाना एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति का विवरण राज्य को नियमित समय अवधि में पहुँचाए।
6. लोक प्राधिकरण के कृत्य :- शासन द्वारा समय-2 पर चलाई गई विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वन प्रभावी रूप से जनपद एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से कराना एवं उनकी समीक्षा करना।
7. लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :-
  - 1- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** :- योजना में प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं निराश्रित निर्धन निःशक्तजन, विधवा/ परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 150/-प्रतिमाह के मान से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
  - 2- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन** :- उक्त योजना का प्रमुख उद्देश्य 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित, विधवा, निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदाय करना है योजनांतर्गत 75/-रु.राज्य शासन से एवं 75/-भारत शासन मद से प्राप्त होता है।
  - 3- **राष्ट्रीय परिवार सहायता** :- उक्त योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक मृत्यु होने पर 10,000/-रु. की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
  - 4- **विकलांग छात्रवृत्ति योजना** :- उद्देश्य जिले में निवासरत विकलांग छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद दे कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।
  - 5- **विकलांगों के लिये स्वरोजगार** :- विकलांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वित्तीय विभाग निगम फरीदाबाद से लोन स्वीकृत कराना।
  - 6- **विकलांगों को उपकरण/सहायक उपकरण प्रदान करना**:- जिले में निवासरत निशक्त एवं असहाय विकलांगों को राज मद से 6 से 25 वर्ष के आयु समूह के नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा 16 से 55 आयु समूह के ऐसे निःशक्त

जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर उन्हें उपकरण/सहायक उपकरण प्रदान करना।

- 7- **मुख्य मंत्री कन्यादान योजना** :- योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को शासन द्वारा उनका निःशुल्क विवाह कराना एवं गृहस्थी की व्यवस्था हेतु 5000/- रु० का गृहस्थी का सामान/1000/- रु० विवाह सम्पन्न कराने पर प्रायोजक को देना।
- 8- **विवेकानंद विवाह समूह (सुरक्षा की छाव)** :- इस योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्य की दुर्घटना/अप्रकृतिक आपदाओं में मृत्यु होने पर 50000/- रु० तथा अंग भंग होने पर 25000/- रु० तथा दुर्घटना में अस्पताल जाने पर मेडिकल प्रमाण-पत्र के अनुसार इलाज हेतु 1000/- रु० प्रदाय करना।
- 9- **नशा मुक्ति कार्यक्रम** :- समाज की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से मद्य निशेध सप्ताह, नशा निवारण दिवस, तम्बाकू एवं धूम्रपान दिवस, नशा मुक्ति अभियान चलाया जाकर नुककड नाटक, प्रदर्शनी,, एवं अन्य प्रतियोगिता के माध्यम से तथा उनसे होने वाली हानियों की जानकारी जन समूदायों को उपलब्ध कराकर जनजाग्रति लाना।
- 10- **ग्राम न्यायालय**:- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सहज एवं सुलभ त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिले में 55 ग्राम न्यायालय राज्य शासन द्वारा स्थापित किये गये।

(तीन) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 248 तथा 250 के अधीन मामलों की सुनवाई तथा उसका निपटारा करने की अनन्य अधिकारिता होगी तथा उस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय तहसीलदार का न्यायालय समझा जाएगा।

11—लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन निर्देशालय क्षेत्र जिला ब्लाक ग्राम आदि) संगठनात्मक ढाँचा ।(जहाँ लागू हो )



8. जन सेवाओ के अनुश्रवण एवं शिकायतो के निराकरण की व्यवस्था।  
❖ शासन निर्देशानुसार
9. मुख्यालय कार्यालय तथा विभिन्न स्तरो पर कार्यालयो के पते  
❖ मुख्य कार्यालय का पता :- उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय जिला राजगढ (ब्यावरा)म.प्र.  
❖ जनपद कार्यालयो का पता:-  
❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ  
❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा  
❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहगढ  
❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर  
❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारगपुर  
❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जीरापुर
10. कार्यालय का खुलने का समय :- प्रातः 10.30 बजे  
11. कार्यालय का बन्द होने का समय :- सायः 5.30 बजे

## बिन्दु क्रमांक 2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त
1	उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय	01	01	0
2	मुख्य लिपिक सह लेखापाल	01	0	01
3	सहायक ग्रेड- 2	02	02	0
4	सहायक ग्रेड- 3	04	03	01
5	जिला अंकेक्षक	01	0	01
6	परिवीक्षा अधिकारी	01	01	0
7	उप अंकेक्षक	04	02	02
8	पंचायत समाज शिक्षा संगठक	06	04	02
9	प्रमुख कलाकार	01	0	01
10	कलाकार	06	0	06
11	वाहन चालक	01	01	0
12	वाहन स्वच्छक	01	01	0
13	चल चित्र चालक	01	0	01
14	ग्राम सहायक	62	62	0
15	भृत्य	04	03	01
16	पंचायत कर्मी	627	501	126

## कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के मूल वेतन एवं अन्य भत्ते संबंधी जानकारी

1	श्री एम.के.बाथम	प्रभारी उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय मूलवेतन- 6500 से 10500 एवं शासन द्वारा 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं आश्रम भत्ता
2	श्री आर.के.रजक	परिवीक्षा अधिकारी मूलवेतन 4500-7000-5750 एवं अन्य भत्ते
3	मुख्य लिपिक सह. लेखापाल	पद रिक्त मूलवेतन 4000-6000 एवं अन्य भत्ते
4	श्री दीपक श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-2 वेतनमान 4000-6000 एवं अन्य भत्ते
5	श्री एम.एल.साध	लेखापाल वेतनमान 4000-6000 5500
6	श्रीमती भगवती वर्मा	सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
7	श्री के.एस.मीना	सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
8	श्री प्रमोद श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
9	पद रिक्त	पद रिक्त सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
10	पद रिक्त	पद रिक्त जिला अंकेक्षक
11	श्री एम.सी.पाल	उप अंकेक्षक वेतनमान 4500- 7000 6790
12	श्री आई.एम.कुरैशी	उप अंकेक्षक वेतनमान 4500- 7000 6790
13	2 पद रिक्त	उप अंकेक्षक वेतनमान 4500- 7000 6790
14	श्री आर.सी.शर्मा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
15	श्री आर.एल.भारती	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
16	श्री पी.एस.मीणा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
17	श्री एस. चौहान	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
18	2 पद रिक्त	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
19	ग्राम सहायक कुल 65 पद	वेतनमान

		4000—6000	
20	पंचायत कर्मी	मानदेय 1250 प्रतिमाह	
21	श्री अशोक बनावड़े	वाहन चालक वेतनमान 3050—4590	
22	श्री प्रकाश मेवाड़े	वाहन स्वच्छक 2500—3050	
23	चलचित्र चालक	वेतनमान 2500—3050	
24	प्रमुख कलाकार	पद रिक्त	
25	कलाकार	4 पद रिक्त	
26	श्री मनोहरलाल उपाध्याय	भृत्य वेतनमान 2500—3050	3050
27	श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्रा	भृत्य वेतनमान 2500—3050	3050
28	श्रीमती संतोष दुबे	भृत्य वेतनमान 2500—3050	3050
29	01 पद रिक्त	भृत्य वेतनमान 2500—3050	3050

### कार्य वितरण -

1. लेखा शाखा : श्री एम.एल.साध सहा.ग्रेड-2 , शासन द्वारा प्राप्त आबंटन के विरुद्ध आय-व्यय विवरण के अभिलेखों का संधारण।
2. पंचायत शाखा : श्री दीपक श्रीवास्तव सहा.ग्रेड-2, त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अन्तर्गत पंचायती राज से संबंधित समस्त ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।
3. विशेष गोकुल ग्राम : श्री यू.बी.एस.परिहार वाटरशेड प्रभारी — जिले में 27 चयनित गोकुल ग्राम प्रकल्प में समस्त शासकीय नोडल विभागों द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।
4. ग्राम न्यायालय : श्री दीपक श्रीवास्तव सहा.ग्रेड 2 — जिले में शासन द्वारा स्थापित 55 ग्राम न्यायालयों में से प्रारंभ में 51 ग्राम न्यायालयों का संचालन, ग्राम न्यायालय के सदस्यों को शासन से प्राप्त आबंटन के विरुद्ध मानदेय, भत्ते आदि का वितरण तथा ग्राम न्यायालयों में दर्ज एवं निराकृत प्रकरणों का मासिक प्रतिवेदन विधि विभाग को भेजा जाना।
5. त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण : त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर (कलस्टर पद्धति) प्रशिक्षण आयोजित कराना।
6. स्थापना शाखा : श्री प्रमोद श्रीवास्तव — समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण, वेतन वृद्धियाँ, अवकाश विभागीय जॉच आदि नस्तियों का संधारण।

7. **शिकायत शाखा** : श्री दीपक श्रीवास्तव – शिकायत शाखा में शासन स्तर से पी.जी.सेल एवं ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों की जाँच संबंधी नस्तियों का संधारण एवं संबंधित विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना।
8. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 37800 हितग्राहियों को शासन से प्राप्त बटन के आधार पर मासिक पेंशन का भुगतान कराया जाना।
9. **राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों के निवासियों को परिवार के मुखिया का स्वर्गवास हो जाने पर राशि रु. 10,000/- की सहायता अनुदान शासन से प्राप्त आबंटन के आधार पर हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराना।
10. **ऑडिट शाखा** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष सबऑडिटर्स के माध्यम से कराया जाता है। जिसके मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन शासन को भेजा जाता है।
11. **निराश्रित निधि** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – निराश्रित निधि मद अन्तर्गत कृषि उपज मण्डियों में संग्रहित राशि की जानकारी एवं मासिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना।
12. **अशासकीय संस्थाओं के अनुदान एवं मान्यता** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव– जिले में संचालित अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजे जाने संबंध आवश्यक कार्यवाही।
13. **परीवीक्षा इकाई** :- विधि के उल्लंघन करने वाले किशोर को परीवीक्षा अवधि के माध्यम से सतत् पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा किशोर न्यायालयों से उनके अपराधों के आधार पर न्यायालयों से उनके अपराधों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत करवाना।
  2. शिशु मातृ कल्याण योजना के अन्तर्गत अनाथ बालक-बालिकाओं को इच्छुक उम्मीदवारों को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण कराना।
  3. समाज से उपेक्षित बालक-बालिकाओं को किशोर गृह में प्रवेश दिलाना।
14. **आवक-जावक शाखा** : श्रीमती भगवती वर्मा – शासन से प्राप्त पत्रों का पंजीयन कर संबंधित शाखाओं में उपलब्ध कराना तथा शासन स्तर, ग्रामीण स्तर एवं जिला स्तर के शासकीय पत्रों को भेजा जाना आदि।

#### **कंडिका -5**

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम –

1. निःशक्त कल्याण अधिनियम
2. सर्विस मैनुअल भाग 1 एवं 2
3. वित्त संहिता भाग 1 एवं 2
4. नियमित अधिनियम वर्ष 1999

**कंडिका -6**

1. कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
2. भविष्य निधि अभिलेख
3. कैशबुक, दैयक रजिस्टर, कोषालय दैयक पंजी, चैक रजिस्टर, कोषालय चैक पंजी, आवक-जावक पंजी, शासकीय पोस्टेज स्टाम्प पंजी, विधानसभा पंजी, व्यक्तिगत पंजी, समय-सीमा एवं पी.जी.सेल से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण, भण्डार, स्थायी भण्डार पंजी एवं अस्थाई भण्डार पंजी, वाहन लॉग बुक पंजी आदि।

**कंडिका -7**

परीवीक्षा इकाई के अन्तर्गत किशोरों के मानसिक, भौतिक उत्थान हेतु सलाहकार समिति के गठन क प्रक्रिया प्रचलित है।

**कंडिका -8**

कंडिका 7 अनुसार कार्यवाही प्रचलित है, ग्रामीण सचिवालय 6 खण्ड स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय, 30 ग्रामीण सचिवालय 166


**कंडिका-9**

40 प्रतिशत या इससे अधिक शासकीय विकलांग कर्मचारियों को वृत्ति कर से छूट प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान करना आदि।

**टीप-** उपरोक्त समस्त कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई यात्रा एवं गृह भाड़ा भत्ते का लाभ दिया जाता है। पंचायत कर्मियों को यह सुविधा प्रदान नहीं की जाती।

**बिन्दु क्रमांक-3**


कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ति खोले जाने से निर्णय लेने तक) को रेखा चित्र की सहायता से दिखाया जाए।

**बिन्दु क्रमांक 4**

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जाये। यदि इस तरह के मापदंड तय नहीं हों तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये, ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिये प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदंड लागू हो सकें।

(अ) भारत शासन एवं राज्य शासन से टारगेट (वित्तीय एवं भौतिक) प्राप्त होते हैं।

लक्ष्य निर्धारित नहीं है योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाकर लाभांशित किया जाता है।



(ब)

**बिन्दु क्रमांक 5**

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैनुअल की सूची तैयार की जाये। – सूची

क्रमांक	विधियो का नाम
1	म0.प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम
2	म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993

**बिन्दु क्रमांक 6**

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जावे।

**कार्यालय में संधारित अभिलेखों की सूची**  
जिला पंचायत राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक	विवरण सूची	रिमार्क
1	2	3
1	पदस्थ कर्मचारियों के सेवा अभिलेख	
2	केशबुक का संधारण	
3	योजनावार आबंटन पंजियां	
4	योजनावार डेबिट व क्रेडिट व्हाउचर नश्तियां	
5	योजनावार निर्देश नस्तीयां	
6.	योजनावार नस्तियों का संधारण	

**बिन्दु क्रमांक 7**

ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम, आदेश क्र. निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जाना है।

स.क.	समिति का नाम	प्रतिनिधि का नाम	आदेश क्रमांक	दायित्व / कर्तव्य
1	2	3	4	5
1	सामाजिक सहायता समिति	मा.सांसद महोदय जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक तिहाई विधायक 4 जनपद अध्यक्ष दो नगर पंचायत / नगरपालिका अध्यक्ष कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक पंचायत सामाजिक न्याय	म.प्र.शासन समाज कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ- 1 / 59 / 26-2 / 95 दिनांक 4.9.96	पेंशन वितरण करने संबंधी समीक्षा
2	मुख्य मंत्री कन्यादान योजना	मा.सांसद महोदय जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक तिहाई विधायक 4 जनपद अध्यक्ष दो नगर पंचायत / नगरपालिका अध्यक्ष कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक पंचायत सामाजिक न्याय		

**बिन्दु क्रमांक 8**

कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड, परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहूत करने संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाये।

❖ जिला सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति जिला स्तर पर गठित है।

**बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10**

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाएं की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी कार्यालय/कोषालय दोनों ही जगह उपलब्ध होंगे।

सूचना का अधिकार – लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा कार्यालय से संबंधित जानकारी 17 बिन्दुओं के अन्तर्गत जन-सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाई जाने के अनुक्रम में कार्यालय उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय राजगढ़ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त
1	उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय	01	01	0
2	मुख्य लिपिक सह लेखापाल	01	0	01
3	सहायक ग्रेड- 2	02	02	0
4	सहायक ग्रेड- 3	04	03	01
5	जिला अंकेक्षक	01	0	01
6	परिवीक्षा अधिकारी	01	01	0
7	उप अंकेक्षक	04	02	02
8	पंचायत समाज शिक्षा संगठक	06	04	02
9	प्रमुख कलाकार	01	0	01
10	कलाकार	06	0	06
11	वाहन चालक	01	01	0
12	वाहन स्वच्छक	01	01	0
13	चल चित्र चालक	01	0	01
14	ग्राम सहायक	62	62	0
15	भृत्य	04	03	01
16	पंचायत कर्मी	627	501	126

**कार्य वितरण -**

15. **लेखा शाखा** : श्री एम.एल.साध सहा.ग्रेड-2 , शासन द्वारा प्राप्त आबंटन के विरुद्ध आय-व्यय विवरण के अभिलेखों का संधारण।
16. **पंचायत शाखा** : श्री दीपक श्रीवास्तव सहा.ग्रेड-2, त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अन्तर्गत पंचायती राज से संबंधित समस्त ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।
17. **ग्राम न्यायालय** : श्री दीपक श्रीवास्तव सहा.ग्रेड 2 – जिले में शासन द्वारा स्थापित 55 ग्राम न्यायालयों में से प्रारंभ में 51 ग्राम न्यायालयों का संचालन, ग्राम न्यायालय के सदस्यों को शासन से प्राप्त आबंटन के विरुद्ध मानदेय, भत्ते आदि का वितरण तथा ग्राम न्यायालयों में दर्ज एवं निराकृत प्रकरणों का मासिक प्रतिवेदन विधि विभाग को भेजा जाना।
18. **त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण** : त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर (कलस्टर पद्धति) प्रशिक्षण आयोजित कराना।
19. **स्थापना शाखा** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण, वेतन वृद्धियाँ , अवकाश विभागीय जॉच आदि नस्तियों का संधारण।
20. **शिकायत शाखा** : श्री दीपक श्रीवास्तव – शिकायत शाखा में शासन स्तर से पी.जी.सेल एवं ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों की जॉच संबंधी नस्तियों का संधारण एवं संबंधित विभाग को जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना।
21. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 37800 हितग्राहियों को शासन से प्राप्त बटन के आधार पर मासिक पेंशन का भुगतान कराया जाना।
22. **राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों के निवासियों को परिवार के मुखिया का स्वर्गवास हो जाने पर राशि रु. 10,000/- की सहायता अनुदान शासन से प्राप्त आबंटन के आधार पर हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराना।
23. **ऑडिट शाखा** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष सबऑडिटर्स के माध्यम से कराया जाता है। जिसके मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन शासन को भेजा जाता है।
24. **निराश्रित निधि** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव – निराश्रित निधि मद अन्तर्गत कृषि उपज मण्डियों में संग्रहित राशि की जानकारी एवं मासिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना।
25. **अशासकीय संस्थाओं के अनुदान एवं मान्यता** : श्री प्रमोद श्रीवास्तव- जिले में संचालित अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजे जाने संबंध आवश्यक कार्यवाही।
26. **परीवीक्षा इकाई** :- विधि के उल्लंघन करने वाले किशोर को परीवीक्षा अवधि के माध्यम से सतत् पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा किशोर न्यायालयों से उनके अपराधों के आधार पर न्यायालयों से उनके अपराधों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत करवाना।

4. शिशु मातृ कल्याण योजना के अन्तर्गत अनाथ बालक-बालिकाओं को इच्छुक उम्मीदवारों को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण कराना।
  5. समाज से उपेक्षित बालक-बालिकाओं को किशोर गृह में प्रवेश दिलाना।
27. **आवक-जावक शाखा** : श्रीमती भगवती वर्मा – शासन से प्राप्त पत्रों का पंजीयन कर संबंधित शाखाओं में उपलब्ध कराना तथा शासन स्तर, ग्रामीण स्तर एवं जिला स्तर के शासकीय पत्रों को भेजा जाना आदि।

#### **कंडिका –5**

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम –

5. निःशक्त कल्याण अधिनियम
6. सर्विस मैनुअल भाग 1 एवं 2
7. वित्त संहिता भाग 1 एवं 2
8. नियमित अधिनियम वर्ष 1999

#### **कंडिका –6**

4. कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
5. भविष्य निधि अभिलेख
6. कैशबुक, दैयक रजिस्टर, कोषालय दैयक पंजी, चैक रजिस्टर, कोषालय चैक पंजी, आवक-जावक पंजी, शासकीय पोस्टेज स्टाम्प पंजी, विधानसभा पंजी, व्यक्तिगत पंजी, समय-सीमा एवं पी.जी.सेल से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण, भण्डार, स्थायी भण्डार पंजी एवं अस्थाई भण्डार पंजी, वाहन लॉग बुक पंजी आदि।

#### **कंडिका –7**

परीवीक्षा इकाई के अन्तर्गत किशोरों के मानसिक , भौतिक उत्थान हेतु सलाहकार समिति के गठन क प्रक्रिया प्रचलित है।

#### **कंडिका –8**

कंडिका 7 अनुसार कार्यवाही प्रचलित है, ग्रामीण सचिवालय 6 खण्ड स्तरीय , उपखण्ड स्तरीय, 30 ग्रामीण सचिवालय 166

**कंडिका-9**

40 प्रतिशत या इससे अधिक शासकीय विकलांग कर्मचारियों को वृत्ति कर से छूट प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान करना आदि।

1	श्री एम.के.बाथम	प्रभारी उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय मूलवेतन- 6500 से 10500 एवं शासन द्वारा 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं आश्रम भत्ता
2	श्री आर.के.रजक	परिवीक्षा अधिकारी मूलवेतन 4500-7000-5750 एवं अन्य भत्ते
3	श्री	पद रिक्त मूलवेतन 4000-6000 एवं अन्य भत्ते
4	श्री दीपक श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-2 वेतनमान 4000-6000 एवं अन्य भत्ते
5	श्री एम.एल.साध	लेखापाल वेतनमान 4000-6000 5500
6	श्रीमती भगवती वर्मा	सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
7	श्री के.एस.मीना	सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
8	श्री प्रमोद श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
9	पद रिक्त	पद रिक्त सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3500-4590 4140
10	पद रिक्त	पद रिक्त जिला अंकेक्षक
11	श्री एम.सी.पाल	उप अंकेक्षक वेतनमान 4500- 7000 6790
12	श्री आई.एम.कुरैशी	उप अंकेक्षक वेतनमान 4500- 7000 6790
13	2 पद रिक्त	उप अंकेक्षक वेतनमान 4500- 7000 6790
14	श्री आर.सी.शर्मा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
15	श्री आर.एल.भारती	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
16	श्री पी.एस.मीणा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
17	श्री एस. चौहान	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
18	2 पद रिक्त	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक वेतनमान 4000-6000 6000
19	ग्राम सहायक कुल 65 पद	वेतनमान

		4000-6000	
20	पंचायत कर्मी	मानदेय 1250 प्रतिमाह	
21	श्री अशोक बनावड़े	वाहन चालक वेतनमान 3050-4590	
22	श्री प्रकाश मेवाड़े	वाहन स्वच्छक 2500-3050	
23	चलचित्र चालक	वेतनमान 2500-3050	
24	प्रमुख कलाकार	पद रिक्त	
25	कलाकार	4 पद रिक्त	
26	श्री मनोहरलाल उपाध्याय	भृत्य वेतनमान 2500-3050	3050
27	श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्रा	भृत्य वेतनमान 2500-3050	3050
28	श्रीमती संतोष दुबे	भृत्य वेतनमान 2500-3050	3050
29	01 पद रिक्त	भृत्य वेतनमान 2500-3050	3050

**बिन्दु क्रमांक 11**

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जायेगी।

(यह जानकारी कार्यालय /कोषालय दोनो जगह उपलब्ध होगी)

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन (लाख में)			वित्तीय वर्ष में व्यय (लाख में)			लाभान्वित हितग्राही		
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन									
	ग्रामीण क्षेत्र	570.2	445	445	402.3	444.20	390.76	20519	18382	21738
	नगरीय क्षेत्र	140	152	140	133.79	151.99	119.70	6548	6471	7310
2	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	126	145	140	123.56	144.30	126.78	16073	13550	17795
3	राष्ट्रीय परिवार सहायता	50.80	75	70	50.8	75	48.10	508	750	481
4	निःशक्तजन छात्रवृत्ति	3.05	3.85	4.30	2.6	3.50	2.20	475	636	124
5	कृत्रिम अंग उपकरण	0.20	0.65	2.00	0.20	0.65	-	12	53	-
6	नशाबंदी 2245	0.05	0.05	0.4	0.05	0.05	0.40	-	-	-

उक्त आवंटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ को प्राप्त होता है, तथा उन्ही के माध्यम से राशि जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों को प्रदाय की जाती है।

**बिन्दु क्रमांक-12****जिला स्तर प्रशासन योजना :-**

राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अमले के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु की जाने वाली राशि खर्च करने का प्रावधान है।

**बिन्दु क्रमांक 13**

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी। इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। (कार्यालय में उपलब्ध)

**बिन्दु क्रमांक 14**

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी इलेक्ट्रानिक फार्म)

- ❖ कार्यालय उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा कार्यालय में उपलब्ध निम्न जानकारी उपलब्ध है ।
- ❖ प्रशासकीय स्वीकृति आदेश
- ❖ व्यय संबंधी जानकारी
- ❖ योजनाओं के संबंध में कार्यवाही
- ❖ अभिलेख

**बिन्दु क्रमांक 15**

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि

- ❖ सुविधा उपलब्ध नहीं है फिर भी पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

**बिन्दु क्रमांक 16**

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिला स्तर पर	उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय	जिला अकेंक्षक	कलेक्टर राजगढ़

**बिन्दु क्रमांक 17**

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी का भी आलेखन किया जाये।

- ❖ निरंक है।